



स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत सांविधिक निकाय
Statutory Body under the Ministry of Health & Family Welfare

F.No. 1-6/Renewal/2021-INC

Dated:-

26 OCT 2021

NOTIFICATION

Names of Institutions inspected under Section 13 and 14 of INC Act 1947 under periodical or enhancement of seats, may not appear under the list of Institutions recognized by SNRC inspected and found suitable under Section 13 and 14 of INC Act, till the outcome of the Executive Committee Decision.

Yours faithfully,

Lt Col (Dr) Sarvjeet Kaur
Secretary

उपचर्या शिक्षा के एकसमान मानक प्राप्त करने के लिए प्रयासरत
Striving to Achieve Uniform Standards of Nursing Education

Website: www.indiannursingcouncil.org E-mail: secy.inc@gov.in

Phone: 011-66616800, 66616821, 66616822

भारतीय उपचर्या परिषद्

आठवाँ तल, एनबीसीसी सेन्टर, प्लॉट नं. 2, कम्युनिटी
सेन्टर, ओखला फेज - 1, नई दिल्ली - 110020



INDIAN NURSING COUNCIL

8th Floor, NBCC Centre, Plot No. 2, Community Centre
Okhla Phase - I, New Delhi - 110020

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत सांविधिक निकाय
Statutory Body under the Ministry of Health & Family Welfare 7 6 OCT 2021

एफ.सं. 1-6/नवीकरण/2021-आईएनसी

दिनांक: 7 6 OCT 2021

अधिसूचना

भारतीय उपचर्या परिषद् अधिनियम, 1947 की धारा 13 तथा 14 के तहत आवधिक अथवा सीटों की वृद्धि के लिए निरीक्षण किए गए संस्थानों के नाम, राज्य उपचर्या पंजीकरण परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त, निरीक्षण किए गए और भारतीय उपचर्या परिषद् अधिनियम, 1947 की धारा 13 तथा 14 के तहत उपयुक्त पाए गए संस्थानों की सूची में कार्यकारी समिति द्वारा लिए गए निर्णय के आने तक परिलक्षित नहीं हो सकते हैं।

भवदीया,

सर्वजीत कौर

लेफ्टिनेंट कर्नल (डॉ.) सर्वजीत कौर
सचिव

उपचर्या शिक्षा के एकसमान मानक प्राप्त करने के लिए प्रयासरत

Striving to Achieve Uniform Standards of Nursing Education

Website: www.indiannursingcouncil.org E-mail: secy.inc@gov.in

Phone: 011-66616800, 66616821, 66616822